# कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति, सीतापुर रोड, लखनऊ

**मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से मण्डी क्षेत्र लखनऊ में प्रथम अत्याधुनिक किसान बाजार (अपना बाजार) एग्री माल विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में दुकान आवंटित कराने का स्वर्णिम अवसर।**

## किसान बाजार (अपना बाजार) में रिक्त दुकानों का विवरण–

| क्र0 सं0 | दुकानों की श्रेणी | कुल निर्मित दुकानों की | अब तक आवंटित दुकानों की सं0 | वर्तमान में आवंटन हेतु रिक्त दुकान | आरक्षित दुकानों का क्रमांकवार विवरण | | | | | दुकानों का आरक्षित मूल्य / न्यूनतम बोली धनराशि लाख में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | अनु0 जा0 | अनु0 जन जा0 | अन्य पिछड़ा वर्ग | कृषक वर्ग | सामान्य | |
| 1 | अ | 14 | 02 | 12 | 2,7,13 (तीन) | — — | 5,9,11, (तीन) | 8,12 (दो) | 3,6,10,14, (चार) | 82.00 |
| 2 | ब | 28 | 08 | 20 | 1,7,12, 16,26 (पांच) | — | 3,8,10 14,18 (पांच) | 2,9,15 ,23 (चार) | 4,11,13 17,19,24 (छ) | 43.05 |
| 3 | स | 15 | 01 | 14 | 2,6,12 (तीन) | — | 4,8,10,14 (चार) | 3,9,13, (तीन) | 5,7,11,15 (चार) | 30,26 |
| 4 | मेज नाइन | 71 | 51 | 20 | 2,17,34 ,44 (चार) | — — — | 12,26 32,42 54,58 (छः) | 3,39,45 ,67 (चार) | 15,25,27 33,43 56, (छः) | 21,75 |
| 5 | सुपर मार्केट | 91 | 63 | 28 (एक दुकान संख्या–23 का स्टे है) 27 का आवंटन होना है | 03,14 32, 49,84 88 (छः) | — | 9,27 38,53, 82, 86 90 (सात) | 6,19,30 51, 85 (पांच) | 11,25,35 40,81,83 87, 89, 91 (नौ) | 22,69 |
| 6 | कैनोपी शाप | 73 | — | 73 | आरक्षण विवरण निम्नवत हैं– | | | | | 06.15 |
| | योग | 292 | 125 | 165 | | | | | | |

| कौनोपी का क्रमांकवार आरक्षण का विवरण– | | |
|---|---|---|
| अनूसूचित जाति | 1, 5, 11, 15, 21, 25, 31, 35, 41, 45, 47, 53, 59, 63, 69, 73 | 16 |
| अनु0 जन जाति | 49, 71 | 02 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 03, 07, 09, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 33, 37, 39, 43, 51, 55, 57, 61, 65 | 18 |
| कृषक वर्ग | 04, 10, 18, 22, 26, 32, 38, 46, 52, 58, 62, 67, 68, 70 | 14 |
| सामान्य | 02, 06, 08, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 54, 56, 60,64 66, 72 | 23 |
| **योग–** | | **73** |

**नोटः-** उक्त अ' 'ब' 'स' मेजनाइन एवं सुपरमार्केट की रिक्त दुकानों के आरक्षण में से ही दिव्यांगों (विकलांगों) हेतु 03 प्रतिशत दुकानें आरक्षित होंगी तथा कृषकों हेतु आरक्षित दुकानों का आवंटन लाटरी पद्धित से होगा।

**श्री अखिलेश यादव**
मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश एवं
मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

# किसानों के हितार्थ मण्डी परिषद का अनूठा वरदान

सर्वसाधारण व्यक्तियों, दुकानदारों एवं कंपनी मालिकों को सूचित किया जाता है कि मण्डी क्षेत्र लखनऊ के अन्र्तगत निर्मित किसान बाजार (अपना बाजार) विभूतिखंड गोमतीनगर, लखनऊ में उपरोक्त तालिका के अनुसार निर्मित रिक्त दुकानों का आवंटन खुली नीलामी द्वारा 90 वर्ष के पट्टे पर अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में किसान बाजार बिनियमावली 2014 के निर्देशानुसार दिनांक 15.03.2016 को सुबह 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार लखनऊ में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित दुकान आवंटन समिति द्वारा किया जायेगा। न्यूनतम बोली की धनराशि उक्त तालिका का आरक्षित मूल्य होगा, जिसके लिये इच्छुक व्यक्ति, दुकानदार, कंपनी आदि नवीन मण्डी स्थल सीतापुर रोड, लखनऊ अथवा किसान बाजार (अपना बाजार) के समिति कार्यालय में रूपया 500.00 (पांच सौ) जमा कर (ब्रोसर)/आवेदन पत्र प्राप्त कर दुकान की श्रेणीवार, निर्देशिका में निर्धारित बयाना राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर 'कृषि उत्पादन मण्डी समिति लखनऊ' के नाम बनवाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथपत्र, फोटो, निवास प्रमाण-पत्र एवं आरक्षित वर्गो का लाभ लेने हेतु जिलाधिकारी/तहसील कार्यालय से जाति प्रमाणपत्र, कृषक प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न कर दिनांक 14.3.16 को 12 बजे तक मण्डी समिति कार्यालय सीतापुर रोड लखनऊ में जमा कर दिनांक 15.3.16 को सुबह 11 बजे से क्लेकट्रेट लखनऊ के सभागार में स्वयं नीलामी में भाग लेना सुनिश्चित करें। यदि स्वयं नहीं आ सकते है तो स्टाम्प पेपर पर अधिकृत व्यक्ति का प्रमाणपत्र फोटो सहित देकर भाग ले सकते है। शेष विस्तृत विवरण, नियम व शर्ते प्राप्त की जाने वाली निर्देशिका पुस्तक में अंकित हैं। फिर भी कोई शंका होने पर विस्तृत जानकारी मण्डी समिति सीतापुर रोड, लखनऊ से की जा सकती है। उक्त आवंटन तिथि में परिर्वतन/निरस्त करने का अधिकार समिति में निहित होगा, जो सर्वमान्य होगा। इसके पूर्व का कोई भी प्रार्थना पत्र इस आवंटन कार्यवाही हेतु मान्य न होगा। अधिकतम बोली दाता द्वारा बोली धनराशि व लीज रेन्ट का 1/4 भाग एक माह के अन्दर जमा करने पर दुकान का कब्जा दे दिया जायगा शेष धनराशि 02 वर्ष में 08 समान किस्तों में जमा करना होगा, इसमे बयाना धनराशि, समायोजित कर दिया जायेगा। बोली स्वीकृत न होने पर बयाना राशि वापस हो जायेगी।

अतः इच्छुक व्यक्ति, दुकानदार, कृषकगण, एवं कंपनी आदि के लोगों से अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही 'किसान बाजार' विनियमावली-2014 के निर्देशानुसार पूर्ण कर नियत तिथि व स्थान पर दुकान आवंटन/नीलामी में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

**(अजीत चौधरी)**
सचिव

**(अशोक कुमार)**
अपर जिलाधिकारी (टी0जी0)/सभापति

**(राज शेखर)**
आई0 ए0एस0
जिलाधिकरी, लखनऊ